न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या–अपील/टीए/6062/2005/जयपुर

1.मोहम्मद हनीफ पुत्र श्री सोराब खां जाति मुसलमान निवासी मोहल्ला इमाम चौक, बांस बदनपुरा जयपुर

–अपीलान्ट

बनाम

1.ग्यारसा
2.गणेश पुत्रगण भोरया जाति माली निवासी आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर
3.मोहम्मद रफीक
4.मोहम्मद फारूक
5.मोहम्मद शरीफ पुत्रगण सोहराबखां जाति मुसलमान निवासी इमाम चौक बास बदनपुरा, जयपुर

–रेस्पोडेन्टस्

खण्डपीठ
श्री गणेश कुमार सदस्य
श्री रवि डांगी, सदस्य

उपस्थित –
श्री पाबूदानसिंह, अधिवक्ता, अपीलान्टस्
श्री लोकेन्द्रसिंह राणावत, अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या–3 से 5
अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 व 2 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं

निर्णय

दिनांकः 04.08.2021

अपीलान्ट ने यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27–06–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट के पिता सोहराब वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध विवादित आराजी खसरा नम्बर 5407 रकबा 04बीघा 16बिस्वा, 5409 रकबा 02बीघा 09बिस्वा एवं 5408 रकबा 02बिस्वा भूमि बाबत् उपखण्ड अधिकारी, आमेर के न्यायालय में घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती रिकार्ड एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वाद प्रस्तुत किया। उक्त वाद में प्रतिवादी संख्या–3 गंगल्या बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने पर उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या–1 व 2 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र में अंकित कथनों को अस्वीकार करते हुए वाद को खारिज किये जाने की प्रार्थना की। विचारण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर पांच तनकियात कायम करने के उपरान्त पक्षकारान की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध करने के उपरान्त बहस सुनकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को अपने निर्णय दिनांक 30–12–1985 से डिक्री कर दिया। उपखण्ड अधिकारी, आमेर द्वारा पारित इस निर्णय व डिक्री के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या–1 व 2 ने राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के न्यायालय में अपील मय धारा 5 एवं धारा 96 जाप्ता दीवानी के प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने एकतरफा निर्णय दिनांक 16–09–2002 से स्वीकार कर प्रकरण विचारण न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया। इस निर्णय के विरूद्ध अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 5 की ओर से राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के न्यायालय में प्रार्थनानपत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत किया, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 27–06–2005 से खारिज कर दिया। इन्हीं निर्णयों से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील मय धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत की है।

3. हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट का तर्क है कि राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा प्रार्थी अपीलान्ट का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी को पत्रावली पर गौर किये बिना ही खारिज कर दिया। दिनांक 10-10-2001 को पत्रावली राजस्व मण्डल से अधीनस्थ न्यायालय में आना बताया है उक्त दिन व उससे पहले पत्रावली नहीं होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं होनी थी, इसलिए प्रार्थी और उसके अधिवक्ता हाजिर नहीं हुए और न्यायालय द्वारा उन्हें सुनवाई हेतु सूचना भी नहीं दी गयी और एकपक्षीय निर्णय करते हुए मामला रिमाण्ड कर दिया। प्रार्थी अपीलान्ट को जब इस निर्णय की जानकारी हुई तो बिना देरी वकील से सम्पर्क किया और नकल लेकर एकपक्षीय कार्यवाही अपास्त करने का प्रार्थनापत्र पेश किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत रूप से खारिज कर दिया। अपीलीय न्यायालय ने आदेश 9 नियम 13 सीपीसी का प्रार्थनापत्र पेश होने पर उसे आदेश 41 नियम 21 को मानकर प्रकरण का निर्णय करना चाहिए था। देरी के लिए अपीलान्ट ने अपना हल्फनामा पेश किया अधिवक्ता के हल्फनामें की आवश्यकता नहीं है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 27-06-2005 अपास्त किया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जावे।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 27-06-2005 विधिवत् रूप से पारित किया गया है उसमें कोई अवैधता नहीं है और दोनों पक्षों को सुनवाई का मौका देने हेतु मामला पुनः विचारण को प्रतिप्रेषित किया है। आगे तर्क करते हुए कथन किया कि आदेश 9 नियम 13 सीपीसी का प्रार्थनापत्र अपील में लागू नहीं होता है और उसके साथ अपीलान्ट को निर्णय की जानकारी कब हुई इस बारे में भी कोई साक्ष्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र को विधिनुसार खारिज किया गया है।

6. हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रसतुत बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं पारित निर्णयों का अवलोकन किया।

7. अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करने से पूर्व धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र का निस्तारण करना आवश्यक है। अपीलार्थी ने अपने प्रार्थनापत्र में देरी का कारण निर्णय की प्रमाणित प्रति देरी से मिलने व स्वयं का बीमार होना बताया है और निवास स्थान से अजमेर आकर वकील नियुक्त करने में समय लगने के कारण सद्भावी कारण बताये है। उक्त तथ्यों के समर्थन में अपना शपथपत्र प्रस्तुत किया है और जिनका कोई खण्डन नहीं है। अतः प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारित किये जाने के लिए व प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को देखते हुए कारण सद्भावी प्रतीत होते है। अतः धारा 5 मियाद अधिनियम का उक्त प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुए अपील पेश करने में हुई देरी को कण्डोन किया जाता है।

8. पत्रावली का अवलोकन करने से यह प्रकट है कि वादी का मूल वाद उपखण्ड अधिकारी, आमेर द्वारा दिनांक 30-12-1985 को वादी सोहराब खां के पक्ष में डिक्री किया गया था। उक्त आदेश के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या-1 व 2 द्वारा अपील प्रस्तुत की गयी थी, जो दिनांक 16-09-2002 को स्वीकार करते हुए उपखण्ड अधिकारी, आमेर को मामला पुनः सुनवाई हेतु दोनों पक्षों को सुनकर निर्णय पारित करने का आदेश दिया गया और दिनांक 30-12-1985 का निर्णय अपास्त कर दिया।

9. उक्त आदेश के विरूद्ध मौजूदा अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट संख्या-3 से 5 द्वारा आदेश 9 नियम 13 सीपीसी का प्रार्थनापत्र पेश किया जबकि अपीलीय न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अपील होना चाहिए थी लेकिन अपीलार्थी द्वारा कोई अपील नहीं की गयी और एकपक्षीय कार्यवाही अपास्त करने के लिए आदेश 9 नियम

13 सीपीसी का प्रार्थनापत्र दिनांक 23-06-2005 को पेश किया, जिसे विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27-06-2005 को खारिज कर दिया। अपीलार्थी ने अपील आफ मीमों में यह उज्र लिया है कि अपीलार्थी ने राजस्व अपील प्राधिकारी के आदेश दिनांक 6-7-1994 के विरूद्ध निगरानी बोर्ड में की थी और उसमें रिकार्ड कॉल कर लिया था। उक्त रिकार्ड दिनांक 9-7-2001 तक वापस अधीनस्थ न्यायालय में नहीं पहुंचा और पत्रावली दिनांक 10-10-2001 को निश्चित की गयी थी और उस दिन पत्रावली बोर्ड से प्राप्त हो गयी थी लेकिन उस दिन प्रार्थी व उसके वकील उपस्थित नहीं थे और अपीलान्ट को कोई सूचना नहीं दी गयी लेकिन जब न्यायालय में पेशी चलती है तो प्रत्येक पेशी के लिए न्यायालय द्वारा पक्षकार को सूचना देने का कोई प्रावधान नहीं है। पक्षकारान स्वयं को न्यायालय द्वारा आवाज लगाये जाने पर उपस्थित होकर अपने प्रकरण में पैरवी करनी होती है और अग्रिम तारीख पेशी किस कार्यवाही के लिए दी गयी उसके अनुसार आगे कार्यवाही करनी होती है, इसलिए अपीलार्थी का उक्त तर्क सारहीन है। प्रस्तुत प्रकरण में यह भी स्वीकृत तथ्य है कि राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16-09-2002 के विरूद्ध कोई अपील पेश नहीं की गयी है तथा उक्त निर्णय अन्तिम हो चुका है और राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित प्रतिप्रेषित निर्णय दिनांक 16-09-2002 के अनुसरण में विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर मूल वाद का अन्तिम निस्तारण किया जाना है।

10. अपीलार्थी ने अपने मीमों आफ अपील में यह भी उज्र लिया है कि अपीलार्थी को ज्योंही निर्णय दिनांक 16-09-2002 के आदेश की जानकारी हुई तो आदेश 9 नियम 13 सीपीसी का प्रार्थनापत्र पेश कर दिया लेकिन उक्त जानकारी कब हुई इस बारे में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है। मूल प्रार्थनापत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी को

पत्रावली की नकल दिनांक 10–5–2005 को प्राप्त करने पर आदेश दिनांक 16–09–2002 का ज्ञान होना बताया है। प्रार्थनापत्र में यह भी उल्लेख किया है कि उसको अपने अधिवक्ता नवनीत कुमार, कृष्ण पारीक द्वारा यह कहा बताया कि आपकी पत्रावली राजस्व मण्डल में गयी है, नीचे कार्यवाही नहीं होगी, आवश्यकता होने पर मै आपकों बता दूंगा, किन्तु इस सम्बन्ध में अधिवक्ता नवनीत कुमार का कोई शपथपत्र नहीं है और यह मान भी लिया जावे कि अधिवक्ता ने अपीलान्ट को न्यायालय में आने से रोक दिया था तो भी अपीलार्थी अधिवक्ता स्वयं न्यायालय में उपस्थित होता लेकिन वह भी उपस्थित नहीं हुआ। केवल मात्र देरी को स्पष्ट करने के लिए उक्त आधार लिया जाना प्रकट होता है। उक्त प्रार्थनापत्र के अवलोकन से यह भी प्रकट होता है कि अपीलार्थी को उपखण्ड अधिकारी का नोटिस दिनांक 10–02–2005 की पेशी का प्राप्त हुआ था और उसके बावजूद भी अपीलार्थी द्वारा इस प्रकरण की कोई जानकारी नहीं ली गयी और ना ही अपीलीय न्यायालय के आदेश की कोई अपील की गयी बल्कि दिनांक 14–03–2005 को नकल के लिए आवेदन करना बताया है और दिनांक 10–05–2005 को प्राप्त होना बताया है। यदि दिनांक 10–05–2005 को भी प्रार्थी को उक्त निर्णय की जानकारी होना माना जावे तो भी अपीलार्थी ने दिनांक 23–06–2005 को आदेश 9 नियम 13 सीपीसी का प्रार्थनापत्र पेश किया है जबकि 30 दिवस के भीतर ही चाराजोही करनी चाहिए थी, जो नहीं की गयी। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया है कि प्रार्थनापत्र पेश करने के समय जानकारी का आधार सद्भावी नहीं है और अधिवक्ता का शपथपत्र भी पेश नहीं किया गया है कि उसे दिनांक 16–09–2002 के निर्णय की जानकारी कैसे हुई कोई सन्तोषजनक कारण नहीं बताये है और उक्त निष्कर्ष तथ्यों के अनुरूप है। यह तथ्य भी यहां गौर करने योग्य है कि तर्क के तौर पर मान भी लिया जावे कि प्रार्थी को उसके अधिवक्ता

ने न्यायालय में आने से रोक दिया था तो भी 2001 से 2005 तक उसके मुकदमें में क्या कार्यवाही हुई, उसने कभी जानकारी करने का कोई प्रयास किया हो ऐसा भी कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश दिनांक 27-06-2005 में कोई अवैधता नहीं है, ना ही आदेश को विधि विरूद्ध या तथ्यों के विपरीत माना जा सकता है। अपीलार्थी की अपील सारहीन होने के कारण खारिज करने योग्य है।

11. उपरोक्त विवेचन के परिणाम स्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। उक्त मुकदमा 35वर्ष पुराना हो चुका है। राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा अपने निर्णय दिनांक 16-09-2002 द्वारा मामला रिमाण्ड किया है, ऐसी स्थिति में प्रकरण को प्राथमिकता के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा सुनवाई किया जाना आवश्यक है। इसलिए विद्वान विचारण न्यायालय को यह आदेश दिया जाता है कि पत्रावली प्राप्त होने के पश्चात् छः माह के भीतर इस प्रकरण का निस्तारण करे। वादी एवं प्रतिवादी दोनों पक्ष दो-दो माह के भीतर अपनी सम्पूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करे, उसके पश्चात् दो माह के भीतर विचारण न्यायालय दोनों पक्षों की बहस सुनकर प्रकरण गुणावगुण पर निस्तारित करें। यदि कोई पक्ष न्यायालय में हाजिर नहीं होता है या साक्ष्य पेश नहीं करता है तो उसके विरूद्ध विधि अनुसार कार्यवाही की जावे। दोनों पक्ष विचारण न्यायालय में दिनांक 25-08-2021 को उपस्थित हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि डांगी)
सदस्य

(गणेश कुमार)
सदस्य